प्रतिलिपि :- संख्या शिक्षा-एच (21) ए(1)पी.एस-16/2019-सामान्य निर्देश दिनांक 16-06-2020 शिक्षा निदेशक उच्चतर, शिमला से प्राप्त हई है व प्रदेश क समस्त उप निदेशक शिक्षा उच्चतर एवम उप निदेशक शिक्षा (निरीक्षण) को प्रेषित है

....

विषय :- निजी स्कूलों द्वारा मनमानी पूर्वक बढ़ाई गयी ट्यूशन फीस व अन्य चार्जेज वसूल करने के खिलाफ करवाई करने व वर्ष 2019 के आधार पर केवल ट्यूशन फीस वसूल करने के सन्दर्भ में ।

ज्ञापन:

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में छात्र अभिभावक मंच दवारा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया गया है कि अधिकतर निजी स्कूल सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए निर्णय के बावजूद मनमानी कर रहे है व अभिभावको को या तो गुमराह कर रहे हैं या अपनी मनमर्जी थोप कर इस आदेश की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। निजी स्कूलों ने नेतिकता के सभी पैमानो को पूरी तरह से ताक पर रखकर मानवीय मूल्यों का पूर्ण ह्रास कर दिया है । इन स्कूलों द्रारा पिछले वर्ष में ट्यूशन फीस, एनुअल चार्ज, एडमिशन फीस , कंप्यूटर फीस , स्मार्ट क्लास रूम चार्ज, केयरज फंड, मिसलेनियस फंडस, बिल्डिंग फंड, डेवलपमेंट फंड, व अन्य सभी प्रकार के फंड व फीस के रुप में विभिन्न मदों में ली गई फीस को इस वर्ष ट्यूशन फीस में सम्माहित कर दिया है व पिछले वर्ष कि तुलना में ट्यूशन फीस को चार से पांच गुणा बढ़ाकर अभिभावकों पर कोरोना काल की तिमाही में ही दस से पन्द्रह हज़ार रुपये का अतिरिक्त वोझ लाद दिया है। बहुत सारे निजी स्कूलों ने अन्य चार्जेज हटाकर 90 से 100 प्रतिशत ट्यूशन फीस के नाम पर ही फीस बुकलेट में दर्शा दी है।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप निदेशालय के पत्र संख्या EDN-H(21)A(1)PS-16/2019-General Instructions-दिनांक 27-05-2020 में जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवायें । इसके अतिरिक्त छात्र अभिभावक मंच से प्राप्त ज्ञापन आपको प्रेषित करते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि आप प्राप्त ज्ञापन का अवलोकन कर मामले की जाँच कर उचित कार्यवाही अमल में लायें तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट शीघ्र-अतिशीघ्र इस निदेशालय को प्रेषित करें।

-हस्ता-

निदेशक (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन संख्या - ई.डी.एन. -यु-(-ए-II)/ प्राइवेट स्कूल/- 724　　**दिनांक 04-07-2020**

कार्यालय , उप निदेशक शिक्षा उच्चतर , ऊना जिला ऊना (हि. प्र.)

1. प्रतिलिपि समस्त प्राइवेट उच्च व बरिष्ठ स्कूल, जिला ऊना के मुखियाओं को कढ़ाई से अनुपालना हेतु प्रेषित है । स्मरण रहे कि यदि किसी स्कूल का किसी भी प्रकार की अनियमितता का मामला विभाग के ध्यान में लाया जाता है तो स्कूल प्रबधंन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
2. निदेशक, उच्चतर शिक्षा , शिमला हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है

04/07/20

शिक्षा उप निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि.प्र)